

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

फजलुद्दीन बनाम बेशी (कौर)

किरम नुकदना प्रा-पत्र 111-128 नं० 75 सन् 2020

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
5-6-20	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक 14-7-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
14/7/20	उभय पक्ष उपस्थित पीतालीन अधिकारी राजकीय कार्य से माहुर हैं। अवकाश पर हैं / पदरिक्त हैं। अतः पत्रावली दिनांक 11-8-20 को पेश हो। सिडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
11-8-20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 25-8-20	
25/8/20	उभय पक्ष उपस्थित पीतालीन अधिकारी राजकीय कार्य से माहुर हैं। अवकाश पर हैं / पदरिक्त हैं। अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो। सिडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
5-9-20	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी 2,3,4 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 के अतिरिक्त कोई कार्यवाही नहीं चलते हैं तटसीलदार माण्डल से माँगा डिपॉजिट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तवा आवाजे डिलायी जाँके उपरान्त भी उपस्थित नहीं। इसके अतिरिक्त एक तरफ़ा कार्यवाही किये जाने के अतिरिक्त किये जाते हैं वकील प्रार्थी	उत्तिनादी सं. 1 के विपक्ष कार्यवाही नहीं चलती है Wmy 15/9/20

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इ
हुकम की तारीख
में जारी हुए

ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। वकील
प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पत्र
से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडल जिला मीलवाड़ा

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

सीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

क्रमा संख्या - 75/20 प्र.पञ्च

श्री फजलुद्दीन अ. श्री मोहम्मद हजीफा पतन निवासी - तुहारिया तहसील माण्डल

- प्रार्थी

बनाम

श्री तेजी अ. श्री जेमा गाफ्री निवासी - तुहारिया तहसील - माण्डल (फौज)
(पृथक्पृथक् प्राप्ति नसब)

- विपक्षी गण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 15-09-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तुहारिया पटवार हल्का तुहारिया तहसील माण्डल में उसके चाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 3826/2337 कुल किता 01 रकबा 17 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी गण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह ही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते ने भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15-06-20 को पंजीबद्ध किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की रा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को रखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम तुहारिया पटवार हल्का तुहारिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 3826/2337 कुल किता 01 रकबा 17 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक तुहारिया 400/- रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी गण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा